पंचायत निगरानी संख्या : 199/2024
उनवान : चमनाराम के कायम मुकाम पेपी देवी बनाम धापू व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 199/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/212

प्रार्थी :–

चमनाराम पुत्र श्री गेनाजी, जाति मेघवाल, निवासी करणवा तहसील देसूरी जिला पाली राज. के कायम मुकाम वारिसान:–

1.1 श्रीमती पेपी देवी पत्नी चमनाराम
1.2 लक्ष्मी पुत्री चमनाराम
1.3 राजकुमार पुत्र चमनाराम
1.4 शान्ति देवी पुत्री चमनाराम
1.5 प्रवीण पुत्र चमनाराम
1.6 हरीश पुत्र चमनाराम
1.7 पुष्पा पुत्री चमनाराम तमाम जाति मेघवाल निवासी करणवा तहसील देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. धापू पुत्री श्री खुमाजी, पत्नी श्री घीसाराम निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली हाल निवासी करणवा तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत कोटडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत कोटडी का आदेश/प्रस्ताव दिनांक 08/20.09.2013 व विक्रय विलेख पट्टा संख्या 40 जारी दिनांक 31.12.2013 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान।

–:निर्णय:–

दिनांक: 13.08.2025

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत कोटडी का आदेश/प्रस्ताव दिनांक 08/20.09.2013 व विक्रय विलेख पट्टा संख्या 40 जारी दिनांक 31.12.2013 को निरस्त करवाने बाबत्

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 199/2024
उनवान : चमनाराम के कायम मुकाम पेपी देवी बनाम धापू व अन्य अन्तर्गत धारा 97
राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा करणवा तहसील देसूरी की आबादी भूमि वाके लुहारा वाला रास्ते पर ग्रामवासी पोमाराम मेघवाल मांगीलाल मेघवाल, पप्पूराम मेघवाल, पेमाराम मेघवाल, कस्तुराराम मेघवाल, मोहनलाल मेघवाल, चुन्नीलाल हीरागर, चमनाराम मेघवाल इत्यादि के कब्जाशुदा केलूपोश झोपडी मय भूखण्ड आये हुये स्थित है जो हिम्मताराम पुत्र श्री घीसाजी जाट निवासी करणवा के लिखत दिनांक 17.01.2010 से कब्जा सावित है। ग्रामवासियों के भूखण्ड मय केलूपोश झोपडी के साथ ही प्रार्थी का स्वयं का केलूपोश झोपडी सहित भूखण्ड गांव करणवा की आबादी भूमि वाके लुहारा वाला रास्ता पर आया हुआ है जिसके पडौस व भुजाए वमाप 20 बाई 35 फीट निम्न पड़ौसियों के बीच आया हुआ स्थित हैः—

उत्तर दिशा मेंः— आम रास्ता

दक्षिण मेंः— रास्ता व दरवाजा

पूर्व में :— रास्ता।

पश्चिम में :— रम्भा पत्नी मंहिगाराम मेघवाल का भूखण्ड आया हुआ स्थित है। जिसमें प्रार्थी के चलाने हेतु रखी लकडियां, निर्माण हेतु रखे पत्थर व कांटो की बाड में कब्जाशुदा परिसर आज भी मौजूद हालात में हैं।

ग्रामवासी करणवा के लिखत दिनांक 17.01.2010 में नाम दर्जशुदा व्यक्तियों के कच्चे झोपडी मय भूखण्डों के पट्टे बने हुये नहीं थे, इस कारण ग्राम पंचायत कोटडी के सरपंच पद पर निर्वाचन में खडे होने वाले प्रत्याशी हिमताराम पुत्र श्री घीसाजी जाति जाट निवासी करणवा ने सारी स्थिति को जानते हुए एक लिखत इकरार करते हुए ग्रामवासियों को यह आश्वासन दिया था कि यदि हिम्मताराम ग्राम पंचायत कोटडी के सरपंच पद पर निर्वाचित हो जाता है तो पट्टा विहिन व्यक्तियों का नियमानुसार पट्टा जारी कर देगें। तथा कब्जानुसार नामजद लिखत कर आश्वासन भी दिया था। ग्राम पंचायत कोटडी के सरपंच पद पर सन 2010 में निर्वाचित होने के उपरान्त हिम्मताराम ने अपने पद का दुरुपयोग करना शुरु किया तथा बिना किसी विधिक कार्यवाही किये बिना मनमानी करते हुए फर्जी तरीके से कार्य करना शुरु करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में प्रार्थी के कब्जाशुदा केलुपोश झोपडी मय भूखण्ड पर पट्टा संख्या 40 जारी कर दिया जो नियम विरुद्ध होने से खारिज काबिल है।

यह कि, पट्टा जारी करते समय सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी व अप्रार्थी संख्या 01 ने बाले बाले पंचायत राज अधिनियम के नियम 145 क्रय के लिये आवेदन किये बगैर व प्रस्तावित भूमि की पहचान किये बगैर तथा न ही नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण किया, यदि नियम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 199/2024
उनवान : चमनाराम के कायम मुकाम पेपी देवी बनाम धापू व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

146 की पालना करते तो निश्चत ही मौके पर प्रार्थी का कब्जाशुदा केलूपोश झोपडी मय भूखण्ड का पता चल जाता तथा स्वयं के द्वारा ही दिनांक 17.01.2010 को ग्रामवासियों के कब्जेनुसार पट्टे देने के आश्वासन याद आ जाता। लेकिन सरपंच व ग्रुप सचिव ने न ही तीन पंचों की कमेटी गठित की, न ही मौका मुआयना किया तथा न ही नियम 148 के तहत कोई नोटिस जारी किया तथा न ही प्रकाशित किया क्योंकि इस प्रकार की विधिवत कार्यवाही यदि ग्राम पंचायत करती तो निश्चित ही प्रार्थी उक्त अनैतिक व नियम विरुद्ध होने वाली कार्यवाही बाबत ग्राम पंचायत से अपना आक्षेप दर्ज करवाता लेकिन नियम 149 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी ने किसी भी व्यक्ति को आक्षेप दर्ज करवाने व निपटाने बाबत कोई युक्तियुक्त अवसर ही प्रदान नही किया। इस प्रकार नियम विरुद्ध पट्टा बनवाने की कार्यवाही करते समय सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही खारिज योग्य है। यह कि, सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी व अप्रार्थी संख्या 01 ने पट्टा संख्या 40 जारी करते हुए सारे नियमों को ताक पर रखते हुए प्रार्थी के कब्जाशुदा भाग पर नियम विरुद्ध कार्यवाही करते हुए नियम 158 के तहत पट्टा संख्या 40 जारी किया है जो खारिज योग्य है क्योंकि ग्राम पंचायत कोटडी ने पट्टा जारी करते हुए भारी अनियमितता की है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 मूल रुप से घाणेराव की रहने वाली है तथा गांव करणवा में अप्रार्थी संख्या 01 के पिताजी के नाम की पुश्तैनी मकान आया हुआ स्थित है, ऐसी अवस्था में अप्रार्थी संख्या 01 गांव करनवा में निशुल्क पट्टा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

ग्राम पंचायत कोटडी के सरपंच ने अप्रार्थी संख्या 01 को जिस स्थान पर पट्टा जारी किया है वह स्थल आज भी प्रार्थी के कब्जे में है तथा दिनांक 17.01.2010 का स्वयं सरपंच द्वारा किये गये लिखत से साबित है कि पूर्व में भी उक्त स्थल पर कब्जा प्रार्थी का ही था। ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति के कब्जाशुदा स्थल पर बगैर कानूनी प्रक्रिया अपनाये नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही है तथा राजस्थान पंचायत राज के नियमों की उपेक्षा करते हुए नियम विरुद्ध जारी किया गया पट्टा संख्या 40 व प्रस्ताव खारिज काबिल है।

यह भी कि, नजरी नक्शा, इकरारनामा दिनांक 17.01.2010 श्री हिमताराम जो सन् 2010–2015 तक ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर निर्वाचित था, के लिखत के अवलोकन से यह साबित है कि मौके पर प्रार्थी का लम्बे समय से कब्जा रहा है तथा आज भी प्रार्थी का कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख गैर कानूनी रुप से जारी किया गया है जो खारिज काबिल है। अतः पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कोटडी के आदेश/प्रस्ताव दिनांक 20.09.2013 व विक्रय विलेख संख्या 40 जारी दिनांक 31.12.2013 खारिज फरमाया जावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 199/2024
उनवान : चमनाराम के कायम मुकाम पेपी देवी बनाम धापू व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. पद क्रमांक 01 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने जिन ग्रामवासियों के नाम से केलूपोश झोपडीमय भूखण्ड लोहारों वाले रास्ते गांव करणवा में दर्शाया है वहां पर उपरोक्त पद में वर्णित किसी भी व्यक्ति का कानूनी भूखण्ड स्थित नही है न ही पूर्व में हिम्मताराम पुत्र घीसाराम जाट का कब्जाशुदा पट्टाशुदा भूखण्ड विवादित स्थल पर कभी रहा है। इसलिए दिनांक 17.01.2010 के लिखत के माध्यम से भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने का कोई औचित्य नही है। वास्तव में अप्रार्थीगण संख्या 01 का उस स्थान पर भौतिक कब्जा पिछले 20 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है तथा वह उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु काम मे लेती है। अप्रार्थी संख्या 01 के पति की मृत्यू आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हो जाने से वह स्वयं की दोनों नाबालिग पुत्रियों के साथ जीवनयापन करने हेतु अपने पीहर करणवा आ गयी एवं इसी भूखण्ड पर झोपडी बना कर रहने लगी। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने पट्टा दिनांक 31.12.2013 को बनवाया।
2. पद क्रमांक 02 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। उपरोक्त पद में प्रार्थी द्वारा तथा कथित विवादित भूखण्ड के पडौस को गलत अंकित कर माननीय न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया है। वास्तव में उपरोक्त भूखण्ड अप्रार्थीगण संख्या 01 का है तथा ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा दिनांक 31.12.2013 को पट्टा संख्या 40 जारी किया गया था जिसमें सही पडौस अंकित किये गये है जो निम्नानुसार है:—

   उत्तर में:— पड़त प्लॉट

   दक्षिण में:— निकाल का रास्ता

   पूर्व में:— पड़त

   पश्चिम में:— रम्भा पत्नी मंईग जी मेघवाल का प्लॉट

   उपरोक्त भूखण्ड का नाप 35 फीट X 20 फीट कुल 700 वर्गफीट है। उपरोक्त भूखण्ड में प्रार्थी का कब्जा कभी नहीं रहा है न ही उसकी कोई वस्तु रखी हुई है।
3. पद क्रमांक 03 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। उपरोक्त विवादित भूखण्ड कभी भी हिम्मताराम पूर्व सरपंच के कब्जें में नही रहा जहां तक सरपंच पद के चुनाव से पूर्व के पट्टा बनाने बाबत आश्वासन एवं तथा कथित लिखत का प्रश्न है तो उसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। साथ ही यह वादा/लिखत विधि विरुद्ध भी है।
4. पद क्रमांक 04 के अधिकांश तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा हिम्मताराम सरपंच द्वारा पदासीन होने के पश्चात पद का दुरुपयोग होने बावत् तथ्य प्रार्थी स्वयं के साक्ष्य से सावित करें। जहां तक हिम्मताराम द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करना बताया है व सही है एवं ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 199/2024
उनवान : चमनाराम के कायम मुकाम पेपी देवी बनाम धापू व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अपनाकर निःशूल्क पट्टा विधवा महिला को आवंटित किया है इस पट्टे के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य आवासीय पट्टा नही है।

5. पद क्रमांक 05 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 को जो पट्टा जारी किया गया है वह विधि अनुसार है। प्रार्थी को यदि किसी प्रकार की आपत्ति पट्टा जारी करने बाबत होती तो वह वर्षो पूर्व लिखत में ग्राम पंचायत या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करता लेकिन जानबूझकर प्रार्थी सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद मौन रहा। पट्टा वर्ष 2013 में जारी हुआ है एवं प्रार्थी द्वारा 2021 में निगरानी पेश की गई है जो अवधि पार है तथा खारिज करने लायक है।
6. पद संख्या 06 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा कभी नही रहा उल्टा अप्रार्थीगण 01 स्वयं का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है अप्रार्थीगण संख्या 01 पिछले 20 वर्षो से इस पर काबिज है तथा स्वयं के पति की मृत्यु के पश्चात विधवा होने के कारण नाबालिग दोनो पुत्रियों के साथ पीहर में अपने माता–पिता भाई बहनों से अलग स्वंतत्र भूखण्ड पर रह रही है इसलिए निःशूल्क पट्टा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।
7. पद संख्या 07 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है तथा जैसे की पूर्व में वर्णित किया गया है प्रार्थी का कब्जा कभी भी उक्त भूखण्ड पर नहीं रहा है। इसलिए निगरानी याचिका खारिज करने के काबिल है। जो पट्टा जारी किया गया है वह विधि अनुसार है।
8. पद संख्या 08 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है।
9. पद संख्या 09 में वर्णित तथ्य कानूनी होने से गौर न्यायालय है।
10. पद संख्या 10 के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अतिरिक्त कथन कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि प्रार्थी ने निगरानी याचिका के साक्ष्य में इस आदेश/प्रस्ताव 08/20.09.2013 को निरस्त करने की प्रार्थना कि है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि को निगरानी याचिका के साथ प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार निगरानी याचिका खारिज करने के काबिल है।
2. यह है कि प्रार्थी जिस लिखत दिनांक 17.01.2010 को आधार मानकर स्वयं का कब्जा एवं स्वामित्व बताने का प्रयास कर रहा है उसकी असल प्रति पेश नहीं की गई है एवं न ही उस लिखत विधि के प्रावधानों में इकरारनामा की परिभाषा में आता है इसलिए उसका कोई विधिक आधार नही है एवं साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 199 / 2024
उनवान : चमनाराम के कायम मुकाम पेपी देवी बनाम धापू व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

3. यह है कि दिनांक 05.01.2021 को ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने के पश्चात भवन इजाजत प्रमाण पत्र जारी किया गया था इससे भी सावित होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड की स्वामी एवं कब्जाधारी अप्रार्थीगण संख्या 01 है।
4. यह है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से पट्टा शुदा एवं कब्जाशुदा आवासीय भूखण्ड में अवैध रुप से कब्जा करने की नियत से गोबर का ढेर डालने का प्रयास किया। जिसकी शिकायत उसने समय समय पर थानाधिकारी पुलिस थाना देसूरी एवं अन्य अधिकारियों को लिखत में की थी इस से भी सावित होता है कि प्रार्थी अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है।

अतः निगरानी का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका सव्यय किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

ग्राम पंचायत कोटडी से आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा है, जो कि तत्कालीन सरपंच प्रत्याशी श्री हिम्मताराम की लिखत से स्पष्ट है। यह कि प्रार्थीपक्ष का पुराना कब्जा होते हुये भी ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया, जबकि अप्रार्थीया श्रीमती धापू ग्राम पंचायत कोटडी की मूल निवासी भी नहीं है। अतः आलोच्य संकल्प दिनांक 20.09.2013 एवं भूमि विक्रय विलेख संख्या 40 दिनांक 31.12.2013 को अपास्त फरमाया जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत कोटडी के जिस संकल्प को खारिज करने की इस्तदुआ चाही है, उस संकल्प की प्रमाणित प्रति निगरानी के संलग्न प्रस्तुत नही की एवं इस आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथमदृष्टया ही अग्राह्य है। यह भी, कि प्रार्थीगण द्वारा आलोच्य भूखण्ड पर अपने तथाकथित कब्जे के प्रमाण के रुप में एक चुनाव प्रत्याशी की लिखत को पेश किया है जो कि इकरारनामा अथवा Agreement of Sale की श्रेणी में नही आता है। उक्त व्यक्ति श्री हिम्मताराम उस भूखण्ड का स्वामी भी नहीं है, अतः ऐसी लिखत निष्पादित करने का न तो उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त था और न ही इस लिखत दस्तावेज का विधि की दृष्टि में कोई मूल्य है। नोटरी तस्दीक नहीं होने से यह तथाकथित लिखत साक्ष्य के रुप में ग्राह्य भी नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी श्रीमती धापू अपने पति की मृत्यु के बाद से ही अपने पीहर गांव करणवा, पंचायत कोटडी में ही निवासरत है जिसके प्रमाणस्वरुप अप्रार्थीया की संतान का अध्ययनरत प्रमाण पत्र तथा ग्राम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत कोटडी द्वारा दिनांक 22.01.2013 को जारी प्रमाणपत्र शामिल पत्रावली है। आलोच्य भूखण्ड पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.01.2021 को अप्रार्थिया के पक्ष में निर्माण स्वीकृति जारी की गई है जो इस तथ्य की तस्दीक हेतु पर्याप्त है कि अप्रार्थीया के पट्टाशुदा आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थिया का ही कब्जा है। यह भी, कि ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के आवंटन के रुप में विधवा महिला को पट्टा जारी किया गया है, जो कि पूर्णतः वैध है तथा हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जाए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीपक्ष द्वारा आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 40 दिनांक 31.12.2013 को हस्तगत निगरानी में मुख्यतः इस आधार पर चुनौति दी है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड प्रार्थीगण का कब्जाशुदा भूखण्ड होते हुए भी अप्रार्थिया के पक्ष में उक्त भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। हस्तगत पंचायत निगरानी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है तथा उक्त धारा 97 के प्रावधानानुसार राज्य सरकार किसी पंचायतीराज संस्था के विनिश्चय अथवा आदेश की वैधानिकता का पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन स्वप्रेरणा से अथवा किसी 'हितबद्ध व्यक्ति' के आवेदन पर कर सकती है। अतः सर्वप्रथम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी में इस प्रश्न का निर्धारण किया जाना आवश्यक है कि **"क्या प्रार्थीगण विचाराधीन पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शामिल है अथवा नहीं अर्थात् क्या प्रार्थीगण आलोच्य भूमि विक्रय विलेख के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है अथवा नहीं?"**

प्रार्थीगण ने निगरानी में यह अंकित किया है कि आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थी के कब्जे को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत कोटडी के सरपंच पद हेतु तत्कालीन चुनाव प्रत्याशी किन्हीं श्री हिमताराम पुत्र श्री घीसाजी निवासी करणवा द्वारा दिनांक 17.01.2010 को एक लिखित इकरार करते हुए सरपंच निर्वाचित होने की स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा जारी करने का अंकन किया था। किन्तु सरपंच पद पर निर्वाचित होने के बाद इसी व्यक्ति द्वारा आलोच्य भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थिया श्रीमती धापू के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया। अर्थात् प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे के प्रमाण के रुप में उक्त लिखत इकरार दिनांक 17.01.2010 को आधार बनाकर हस्तगत पंचायत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में निगरानी में अंकित कथनों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के सरसरी अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस लिखत इकरार को आधार बनाया गया है, वह एक चुनाव प्रत्याशी द्वारा किया गया चुनावी वादा मात्र प्रतीत होता है। लिखत इकरार निष्पादित करने वाला व्यक्ति न तो उक्त भूखण्ड का स्वामी था और न ही उसे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ऐसा कोई करार या अभिकथन अंकित करने का कोई अधिकार प्राप्त था। भूमि विक्रय विलेख निष्पादित करना सरपंच का विशेषाधिकार (Prerogative) न होकर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 147 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सामूहिक रुप से अन्तिम विनिश्चय करने की कार्यवाही है। न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है कि उक्त लिखित इकरार दिनांक 17.01.2010 विधि की दृष्टि में शून्यकृत दस्तावेज है। जिस आधार पर प्रार्थीगण का आलोच्य भूखण्ड पर न तो कब्जा प्रमाणित माना जा सकता है और न ही ऐसे किसी अनाधिकृत लिखत से प्रार्थीगण को कोई अधिकार सृजित होते है।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि प्रार्थीगण ने निगरानी के संलग्न अथवा सुनवाई के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिस आधार पर यह उपधारणा की जा सके कि दिनांक 20.09.2013 को आलोच्य भूमि विक्रय विलेख के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिये जाने से पूर्व इसी भूखण्ड का पट्टा अपने पक्ष में बनाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कोई आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया हो। प्रार्थीगण उक्त अनाधिकृत लिखत इकरार के अतिरिक्त ऐसा कोई वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करने में असफल रहे है जो आलोच्य भूखण्ड पर उनके स्वामित्व अथवा कब्जे को प्रमाणित करने में सहायक सिद्ध हो।

सारांशतः, प्रार्थीगण आलोच्य भूमि विक्रय विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड के सम्बन्ध में स्वयं को 'हितबद्ध व्यक्ति' सिद्ध करने में असफल रहे है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 40 दिनांक 31.12.2013 बज़रिए श्रीमती धापू पुत्री श्री खुमाजी मेघवाल के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 ख़ारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **13.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को पुनः लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner